उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, रामगढ़

(पंचायत शाखा)

– :: आदेश :: –

सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज), झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या– 689, दिनांक 26/02/2016 एवं अधिसूचना संख्या– 80, दिनांक 28/04/2016 तथा संशोधित अधिसूचना संख्या– 105, दिनांक 07/06/2016 में निहित निदेश और दिनांक 11/07/2017 को सम्पन्न जिला चयन समिति की बैठक में निर्णय के आलोक में निम्न अभ्यर्थियों को कनीय अभियन्ता के पद पर 17,000/– (सत्रह हजार) रूपये मासिक मानदेय पर नीचे अंकित शर्त्तो के अधीन संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाता है : –

क्र.	नाम	पिता का नाम	पता
1	श्री सत्येन्द्र प्रसाद	श्री योगेश्वर प्रसाद	रेलवे कॉलोनी, टाईप– II/12, रोड नं0– 37, पो– पी.टी.पी.एस., रामगढ़
2	श्री नितीश भारद्वाज	श्री संजय सिंह	ग्राम– कोरचे, थाना– रजरप्पा, जिला– रामगढ़
3	श्री रवि कुमार कुशवाहा	श्री कौलेश्वर प्रसाद कुशवाहा	गोला रोड, बाजार टांड़, रवि ट्रेडर्स, रामगढ़
4	श्री धनंजय कुमार	श्री कारू प्रजापति	ग्राम– बानसिंह, पोस्ट– जोरी, थाना– वशिष्ठ नगर, जिला– चतरा
5	श्री दिनेश दास	श्री किसुन रविदास	ग्राम– कसियाटांड़, पोस्ट– भागाबाँध, जिला– धनबाद
6	श्री सुधांशु कुमार	श्री अशोक कुमार सिन्हा	क्वार्टर नं0– एच.आई /69 (48 यूनिट) पोस्ट– भदानीनगर, रामगढ़
7	श्री रवि कुमार दास	श्री जलेश्वर रविदास	उकरीद, सोसो, रजरप्पा रामगढ़
8	श्री आलोक उराँव	श्री बिहारी उराँव	ग्राम– रोल, पोस्ट– सरयु, थाना– गरू, जिला– लातेहार
9	श्री टिंकू कुमार बेदिया	श्री बिरेन्द्र बेदिया	सी.आई.सी. बस्ती, बरकाकाना, पोस्ट– बरकाकाना, थाना–पतरातु, जिला–रामगढ़
10	श्री रविशंकर उराँव	हर्षनाथ उराँव	गवरमेन्ट पोलिटेकनिक होस्टल, रूम नं0– 07, चर्च रोड, लोवर बाजार, राँची
11	कुमारी प्रियंका	श्री सहदेव कर्मकार	चितरपुर, रामगढ़
12	श्री अजय कुमार महतो	श्री रघु महतो	ग्राम+पोस्ट– साण्डी, थाना– रजरप्पा, जिला– रामगढ़।

1. योगदान के समय आवेदकों को निम्न कागजात प्रस्तुत करना होगा : –
   - I. असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र।
   - II. दहेज नहीं लेने/देने से सम्बन्धित शपथ पत्र।
   - III. सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति।
   - IV. पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति।
   - V. आवासीय/जाति प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति।
2. योगदान के समय नियुक्त कर्मी इस आशय का शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि उनके द्वारा समर्पित प्रमाणपत्र सही एवं वैद्य हैं। मूलतः/फर्जी पाये जाने पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी एवं नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी।

3. प्रारम्भिक चरण में संविदा के आधार पर ऐसी नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जायेगी तथा इस कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व समिति के द्वारा उनके कार्यो की समीक्षा की जायेगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अगले एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा। नवीकरण नहीं होने की स्थिति में ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी। नियुक्ति के लिए गठित की गई चयन समिति ही इस प्रयोजनार्थ नवीकरण के लिए समिति मानी जायेगी।

4. यदि कोई कार्यरत कर्मी ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा तो उसे अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरीत यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा की आवश्यकता नही हो तो वे उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत कर्मी की सेवा समाप्त कर सकेंगे। परन्तु कार्य असतोषजनक पाये जाने पर ऐसे कार्यरत कर्मी की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी वक्त समाप्त की जा सकेगी।

5. उपर्युक्त अवधि में संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मी को किसी अन्य स्थान/संस्था इत्यादि में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

6. संविदा अवधि के नवीकरण कर्मियों के क्षमताओं, निधि की उपलब्धता तथा योजना की अवधि को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा।

7. कार्य संतोषजनक पाये जाने पर मानदेय में 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि की जायेगी।

8. आवेदक को देय एकमुश्त वेतन के अन्तर्गत हीं यात्रा, दूरभाष एवं इंटरनेट की सुविधा सम्मिलित होगी।

9. आवेदक को योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा व्यय का भुगतान नहीं किया जायेगा। कर्मी को मात्र सरकारी कार्यो से देश के अन्दर यात्रा करने हेतु राज्य के नियमों के अन्तर्गत यात्रा व्यय का भुगतान किया जायेगा।

10. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवकाश संविदा कर्मियों को देय होगा।

11. योगदान के दिन नियुक्त कर्मी को एक अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।

निर्देश दिया जाता है कि नियुक्त कर्मी दस दिनों के अन्दर बिन्दु– 02 में वर्णित शपथ पत्र के साथ जिला पंचायत राज पदाधिकारी, रामगढ़ के कार्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि के अन्दर योगदान नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति सम्बन्धी दावा अमान्य किया जा सकता है।

ह0/–
उपायुक्त,
रामगढ़।

ज्ञापांक 505 /पं0 रामगढ़, दिनांक 09/09/2017

प्रतिलिपि : सभी सम्बन्धित आवेदकों को सूचनार्थ एवं आदेश अनुपालन हेतु प्रेषित। निर्देश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 10 दिनों के अन्दर जिला पंचायत राज पदाधिकारी, रामगढ़ के समक्ष योगदान करना सुनिश्चित करेंगे।

09/9/17

उपायुक्त,
रामगढ़।